Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में थानाधिकारी, थाना रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.), कानिस्टेबल एवं उनका दलाल (प्राइवेट व्यक्ति) 5 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *21 अप्रेल गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते ब्रजमोहन मीणा निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना रेलवे सुरक्षा बल, रामगंजमंडी, कोटा, रणधीर सिंह जाट कानिस्टेबल, थाना रेलवे सुरक्षा बल, रामगंजमंडी, कोटा एवं उनके दलाल राहुल वैष्णव (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से **5 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि रेलवे स्टेशन रामगंजमंडी पर पानी की ट्राली के निर्बाध संचालन की एवज में मासिक बन्धी के रूप में ब्रजमोहन मीणा निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना रेलवे सुरक्षा बल, रामगंजमंडी, कोटा द्वारा रणधीर सिंह जाट कानिस्टेबल, थाना रेलवे सुरक्षा बल, रामगंजमंडी, कोटा एवं उनके दलाल राहुल वैष्णव (प्राइवेट व्यक्ति) के माध्यम से **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **कोटा के पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्वत** के सुपरविजन में एसीबी कोटा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री नरेश चौहान** मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **दलाल राहुल वैष्णव** पुत्र श्री नंदलाल निवासी वार्ड नं0 11, दरा थाना कनवास जिला कोटा (प्राइवेट व्यक्ति) को परिवादी से **5 हजार रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी **ब्रजमोहन मीणा** पुत्र श्री रामफल मीणा निवासी मु.पो. जगजीवनपुर, तहसील व जिला भरतपुर हाल निवासी म.नं. 34, गोविन्द नगर, जगतपुरा, जयपुर हाल निरीक्षक, थानाधिकारी, थाना रेलवे सुरक्षा बल, रामगंजमंडी, कोटा एवं रणधीर **सिंह जाट** पुत्र श्री रमेश चंद निवासी म.नं. 12, यश विहार कॉलोनी, सोमरिया रोड़, कोटा हाल कानिस्टेबल, थाना रेलवे सुरक्षा बल, रामगंजमंडी, कोटा को भी प्रकरण में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं* ***Whatsapp* *हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।